

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या-148(1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2024 की अधिसूचना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में नवीनीकरण के पर्यायत अय्यवस्थापित 06 विदेशी मदिरा दुकानों का आबकारी नीति के विन्दु संख्या 1.1(2) के अनुसार राजस्व निर्धारित

क्र० सं०	विदेशी मदिरा की दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अय्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों का राजस्व निर्धारण	अनुज्ञापन शुल्क(कुल राजस्व का 1 प्रतिशत) (1000 के पूर्णांक में) (कॉलम 3 का 1%)	वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल निर्धारित वार्षिक अभिमार (कॉलम 3-4)	प्रथम प्रतिभूति (कॉलम 5/12)	द्वितीय प्रतिभूति (कॉलम 5/12)	धरोहर धनराशि कुल राजस्व का 2.5 प्रतिशत (कॉलम 3 का 2.5%)	द्वैसयत कुल राजस्व का 15 प्रतिशत (कॉलम 3 का 15%)
1	नरेन्द्रनगर	45861932	459000	45402932	3783578	3783578	1146548	6879290
2	हिण्डोलाखाल	37948043	379000	37569043	3130754	3130754	948701	5692206
3	भागीरथीपुरम	34785297	348000	34437297	2869775	2869775	869632	5217795
4	गडोलिया	29834189	298000	29536189	2461349	2461349	745855	4475128
5	छाम	18552159	186000	18366159	1530513	1530513	463804	2782824
6	रजाखेत	16233139	162000	16071139	1339262	1339262	405828	2434971
	कुल योग	183214759	1832000	181382759	15115230	15115230	4580369	27482214

आबकारी निरीक्षक
क्षेत्र-01 टिहरी।

आबकारी निरीक्षक
क्षेत्र-02 नरेन्द्रनगर

आबकारी निरीक्षक
क्षेत्र-03 कीर्तिनगर।

जिला आबकारी अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

विज्ञापित


सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-148(1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2024, कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या- 24972/सात लाई0एस0-47/व्यव0/2024-25/सा0निर्देश/विज्ञापित/देहरादून, दिनांक 29.02.2024 एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून की विज्ञापित संख्या-26182/सात लाई0-47/आबकारी नीति-2024/देहरादून; दिनांक: मार्च 11, 2024 के क्रम में आबकारी नीति 2024 के बिन्दु सं0 1.1 (2) नवीनीकरण के पश्चात अवशेष अव्यवस्थापित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों हेतु जनपद के राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष, अवशेष राजस्व को सम्बन्धित मदिरा दुकानों में पुनर्निर्धारित करते हुए नीति में दी गई प्रक्रिया के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल की एफ0एल0-5डी विदेशी मदिरा की 06 फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन लाटरी के माध्यम से किया जाना है। जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये जनपद टिहरी गढ़वाल में अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों का राजस्व विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित लाईसंस फीस	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित वार्षिक अधिभार	निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु धनराशि कुल राजस्व का 2.5 प्रतिशत	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल राजस्व का 15 प्रतिशत हैसियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नरेन्द्रनगर	विदेशी	45861932	459000	45402932	3783578	1146548	6879290
2	हिण्डोलाखाल	विदेशी	37948043	379000	37569043	3130754	948701	5692206
3	भागीरथीपुरम	विदेशी	34785297	348000	34437297	2869775	869632	5217795
4	गडोलिया	विदेशी	29834189	298000	29536189	2461349	745855	4475128
5	छाम	विदेशी	18552159	186000	18366159	1530513	463804	2782824
6	रजाखेत	विदेशी	16233139	162000	16071139	1339262	405828	2434971

दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि हेतु नवीनीकरण के पश्चात अवशेष 06 विदेशी मदिरा दुकानों को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रथम चरण (लॉटरी) के माध्यम से व्यवस्थापित किये जाने के लिये कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।:-

क्र0स0	विवरण	दिनांक व समय
01	लॉटरी हेतु आवेदन करने की तिथि (प्रारम्भ)	दिनांक 14.03.2024
	लॉटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	16.03.2024 सायं 5:00 बजे तक
	लॉटरी की तिथि	दिनांक 18.03.2024 के प्रातः 10:00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक

अतः इच्छुक व्यक्ति निर्धारित आवेदन पत्र पर विदेशी मदिरा दुकान हेतु आवेदन शुल्क 65,000/- (नाॅन रिफन्डेबल) व निर्धारित धरोहर धनराशि कुल राजस्व के 2.5 प्रतिशत के बराबर का बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के नाम देय हो, एवं अन्य वांछित अभिलेखों सहित दिनांक 16.03.2024 समय 5:00 बजे सायं तक आवेदन कर सकते हैं। आबकारी नीति 2024 के बिन्दु सं0 3.17 (1) के अनुसार प्रथम चरण (लॉटरी) हेतु सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई/मूल निवासी पात्र होगा। अन्य जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढ़वाल/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों एवं विभागीय वेबसाइट www.Uttarakhandexcise.org.in तथा www.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।


जिला आबकारी अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि- 215 दि0 13/3/24 निर्मांकित को उपरोक्त विज्ञापित को न्यूनतम स्पेश एवं न्यूनतम दरो पर छपवाने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित है।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि, उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय वेबसाइट Www.Uttarakhandexcise.org.in में अपलोड करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. प्रतिनिधि दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा टिहरी गढ़वाल को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञापित को दिनांक 14.03.2024 के संस्करण में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।